



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सीआईआर/1047

07/02/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारतीय रिजर्व बैंक - मसौदा व्यापार विनियमन और निर्देश पर सदस्यों के सुझाव।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग ने निर्यातकों/आयातकों द्वारा व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और अधिकृत डीलर बैंकों को अपने विदेशी मुद्रा ग्राहकों को त्वरित और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने के इरादे से पिछले साल मसौदा व्यापार नियम और निर्देश जारी किए हैं।

चूंकि निर्यातक/आयातक महत्वपूर्ण हितधारक हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग व्यापार के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों को समझने के लिए एक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा है।

कृपया नीचे मसौदा व्यापार विनियमन और निर्देशों के लिए लिंक देखें।

https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=58212

इस संबंध में, हम सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक - मसौदा व्यापार विनियमन और निर्देशों पर अपने मुद्दे/चिंताएँ/सुझाव/प्रतिक्रिया प्रदान करें।

कृपया अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव 12 फरवरी, 2025 (दोपहर 12 बजे) तक bharti@plexconcil.org
anirudha@plexconcil.org पर साझा करें।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद